

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 411033

पटना, दिनांक 11/02/19

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(PMAY अन्य)-102-40/2018

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

कैवल तनुज, भा0प्र0से0  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने के संबंध में ।


प्रसंग:- विभागीय पत्रांक- 370600 दिनांक-22.05.2018

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण अन्तर्गत भारत सरकार से SECC 2011 के आँकड़ों के आधार पर आवास की आवश्यकता वाले परिवारों में छूटे हुए परिवारों का नाम शामिल करने हेतु विभागीय पत्रांक-370600 दिनांक-22.05.2018 से चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे । छूटे हुए पात्र परिवारों का नाम Aawas App+ के माध्यम से निरीक्षण करके इस कार्य को 30.06.2018 तक पूर्ण कर लिया जाना था । तत्पश्चात केन्द्र सरकार की सहमति से इस तिथि को विस्तारित करते हुए दिनांक-30.11.2018 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का निदेश दिया गया था । कतिपय जिलों के उप विकास आयुक्तों के द्वारा अवधि विस्तारित करने संबंधी अनुरोध के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से इस कार्य के लिए अवधि विस्तारित करने का अनुरोध किया गया । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में Aawas App+ के माध्यम से अतिरिक्त परिवारों के नाम शामिल करने हेतु अवधि विस्तारित करने की सहमति दी गई है ।

अतः अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में योग्य परिवारों के नाम शामिल करने के लिए Aawas App+ पर प्रविष्टि करने की कार्रवाई दिनांक-20.02.2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाय । इसके बाद प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त परिवारों के नाम शामिल करने हेतु अवधि विस्तारित नहीं की जायेगी ।

विश्वासभाजन




(कैवल तनुज)

सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक 411033

पटना, दिनांक 11/02/19

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव